न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/02/2022	2022/7	03.02.2022	09.04.2024

1. जैन खां पुत्र चन्दर खान, उम्र करीब 56 साल, जाति मेव, निवासी ग्राम भडोली, तहसील अलवर, जिला अलवर।
2. नबाव खां पुत्र चन्दर खान, उम्र करीब 53 साल, जाति मेव, निवासी ग्राम भडोली, तहसील अलवर, जिला अलवर।
3. श्रीमती हुसैनी खान पत्नी इमरत खान, उम्र करीब 69 साल, जाति मेव, निवासी ग्राम भडोली, तहसील अलवर, जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1. जितेश सिंह पुत्र हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
2. बबीता पुत्री हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
3. महेश कुमान नरूका पुत्र हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
4. राकेश सिंह पुत्र हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
5. विद्या देवी पत्नी स्व0 हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।
6. श्रीमान तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर।
7. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक शाखा पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 20.01.2022 नामान्तकरण विरासत संख्या 2380 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा।

उपस्थितः—

01. श्री रहमत खां — वकील अपीलाण्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 07.01.2022 नामान्तकरण विरासत संख्या 2380 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिसके द्वारा नामान्तकरण को स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत ने इंतकाल विरासत आराजी मुतनाजा व अन्य आराजियात वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा जिला अलवर का तारीख 07.01.2022 को विरासत नं0 2380 का प्रशासन गांव के संग अभियान सन 2021 को हम अपीलान्टान को बालाबाला बिला अपीलान्ट को नोटिस जारी किये व बिला अपीलान्ट के एतराजात समाअत फरमाये व बिला अपीलान्ट को दस्तावेज पेश करने का मौका दिये गलत तरीके पर रेस्पो0 न0 1 लगा0 06 के नाम गलत तरीके पर दर्ज व स्वीकार किया गया है। जिससे इंतकाल अंन्दर मियाद पेश है। हम अपीलान्ट न0 01 व 02 ने रेस्पो0 नं0 1 लगायत 05 के पति व पिता हरिसिंह व पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडझ के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी खाता नं0 565 आराजी खसरा न0 2484 रकबा 2.34 है0 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा में से 21/234 हिस्सा जरिये बयनामा दिनांक 20.11.2018 को बिलऐवज 3,25,000/—रूपये में खरीद किया है जो बयनामा उप पंजीयक महोदय मालाखेडा से तारीख 28.11.2018 को पंजीबद्ध किया गया है बाद खरीद उक्त आराजी पर मिन अपीलांटान न0 01 व 02 बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज दाखिल हैं व इस प्रकार मिन अपीलान्ट नं0 3 ने रेस्पो0 न 1 ल0 5 के पति व पिता हरिसिंह व पुत्र सुगनसिंह के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी खाता नं0 565 आराजी खसरा न0 2484 रकबा 2.34 है0 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा में से 29/234 हिस्सा जरिये बयनामा दिनांक 20.11.2018 को बिलऐवज 4,50,000/—रूपये में खरीद किया है। जो बयनामा उप पंजीयक महोदय मालाखेडा से तारीख 20.11.2018 को पंजीबद्ध किया गया है बाद खरीद उक्त आरजाी पर मिन अपीलान्ट न0 3 बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज दाखिल हैं व हम अपीलान्टान को आराजी मुतनाजा के बाबत हर किस्म के हकूक खातेदारी प्राप्त है। हम अपीलान्ट तहत अदालत में पक्षकार नहीं थे व तहत अदालत के निर्णय से हम अपीलान्टान के हकूक खातेदारी जायल होते हैं जिससे हम अपीलान्टान को तहत अदालत के हुक्म के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत दी जावे। जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 96 जा0दी0 अलहेदा से पेश है। मिन अपीलान्टान ने हरिसिंह से आराजी मुतनाजा जब खरीद कर ली व हरिसिंह का उक्त आराजी मुतनाजा से कोई ताल्लुक, वास्ता, संबंध किसी भी किस्म का नही रहा फिर भी हरिसिंह ने गलत तरीके पर आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात को रेस्पो0 न0 6 के यहां अपने हकूक कब्जे काश्त खातेदारी आराजी समस्त रहन रखी है इसलिए उक्त इंतकाल में से आराजी मुतनाजा तक जो इन्द्राज रहन किया है वो मंसुख किये जाने योग्य है। हरिसिंह का स्वर्गवास हो गया है हरिसिंह को आराजी मुतनाजा को रहन रखने का अधिकार नही था। तहत अदालत ने उक्त हरिसिंह का इंतकाल विरासत आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात बाबत रेस्पो0 न0 1 ल0 6 के पक्ष में गलत तरीके पर दर्ज व स्वीकार किया है। जबकि रैस्पो0 न0 01.ल0 06 आराजी मुतनाजा से गैरवास्ता है चूंकि रैस्पो0 न0 1 ल0 5 के पति व पिता ने आराजी मुतनाजा को जरिये बयनामा हम अपीलान्टान के पक्ष में बंचान कर दी है व रेस्पोडेन्ट न0 01 ल0 06 का आराजी मुतनाजा से कोई संबंध नहीं है इसलिए उक्त इंतकाल विरासत में से खाता न0 565 खसरा न0 2484 रकबा 2.34 है0 तक निरस्त होने योग्य है। तहत अदालत ने विरासत इंतकाल प्रशासन गांव के संग अभियान में दर्ज व स्वीकार किया है। तहत अदालत में आराजी मुतनाजा का कोई मौका मुआयना नहीं किया और नही कब्जा देखा। उक्त इंतकाल विरासत हम अपीलान्टान की अदम मौजूदगी में गलत तरीके पर रैस्पों न0 01 ल0 06 के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टान मंजूर फरमाया जाकर तजवीज साहव तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर तारीख 07.01.2022 बाबत इंतकाल विरासत न0 2380 खाता संख्या 565 आराजी खसरा न0 2484 रकबा 2.34 ऐयर वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडज्ञ व अन्य आराजियात का प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 गलत तरीके पर दर्ज व स्वीकार किया गया। बमुराद मंसुखी तजबीज तहत अदालत व स्वीकार किये जाने अपील व दर्ज किये जाने इंतकाल बय अपीलान्टान के नाम व दिलाये जाने खर्चा मुकदमा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील रेस्पोडेन्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित। वकील अपीलान्ट्स की एक पक्षीय बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पति व पिता हरिसिंह व पुत्र सुगनसिंह के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी खाता नं0 565 आराजी खसरा न0 2484 रकबा 2.34 है0 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा में से 29/234 हिस्सा एवं 21/234 हिस्सा जरिये दो पृथक–पृथक रजिस्टर्ड बयनामे दिनांक 20.11.2018 के आधार पर विधिवत क्रय किये की हैं। भूमि का बेचान विधिवत रजिस्टर्ड बयनामे के आधार पर एवं पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रजिस्टर्ड बयनामों से प्रभावित आराजी खसरा नम्बर व रकबे की हद तक नामान्तरकरण संख्या 2380 दिनांक 20.01.2022 को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार मालाखेडा को निर्देश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड बयनामों दिनांक 20.11.2018 के क्रम मे विधिवत सुनवाई कर एक माह में निर्णय पारित कर आगामी कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार * प्रशासन (द्वितीय) अलवर *